भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 784

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में अमृत 2.0 की स्थिति

784. श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अमृत 2.0 के तहत पूर्ण हो चुकी, कार्यान्वयनाधीन और लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) असम में उक्त मिशन के कार्यान्वयन में सामने आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असम में अमृत 2.0 का कोई प्रदर्शन मूल्यांकन किया है या करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो मूल्यांकनकर्ता प्राधिकारी, प्राप्त निष्कर्षों और उस पर किए गए उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त मिशन को आगे बढ़ाने का कोई विचार है और यदि हाँ, तो प्रस्तावित उपायों, संभावित समय-सीमा और आवंटित किए जाने वाले बजट सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) का शुभारंभ 1 अक्टूबर, 2021 को देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में किया गया, ताकि शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल-सुरक्षित' बनाया जा सके। अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। जलाशयों का पुनरूद्धार, हरित स्थानों और पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को मिशन के दिशा-निर्देशों के व्यापक ढांचे के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण तथा

कार्यान्वयन का अधिकार प्रदान किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) में 66,638.59 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 1,97,191.85 करोड़ रुपये की 8,777 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अमृत 2.0 पोर्टल पर दिनांक 09.07.2026 तक उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1,37,130.13 करोड़ रुपये (पूंजीगत व्यय लागत) की 7,687 परियोजनाओं को आवंटित किया गया है और कुल 66,472 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे किये जा चुके हैं। परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति वेबसाइट https://amrut.mohua.gov.in/approvedProjects/state पर उपलब्ध है।

(ख) असम राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में अमृत 2.0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों में उपयुक्त भूमि की पहचान और उपलब्धता, लंबे मानसून काल तथा लगातार होने वाली वर्षा के कारण निर्माण कार्यों के लिए प्रभावी कार्य अवधि में उल्लेखनीय कमी, तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) एवं वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने में होने वाला विलंब शामिल है।

(ग) और (घ) अमृत 2.0 दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। मिशन के दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित शीर्ष समिति आवधिक रूप से मिशन के तहत राज्य के कार्य-निष्पादन की समीक्षा और निगरानी करती है।

असम राज्य में अमृत 2.0 के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (आईआरएमए) को नियुक्त किया गया है, जो समय-समय पर राज्य में निर्माण कार्य के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करती है। आईआरएमए द्वारा परियोजना-विशिष्ट टिप्पणियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिन्हें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की पुनः समीक्षा भी आईआरएमए द्वारा की जाती है।

(ङ) अमृत 2.0 मिशन की अवधि को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मौजूदा अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के भीतर वित्त वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है।
